सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ उपदफा ३

आ.व. २०८२।८३ बैशाख १ देखि असार मसान्त सम्मको स्वत प्रकाशन

भाग २

# फाल्गुनन्द गाउँपालिका

# गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

# फाक्तेप, पाँचथर

श्रावण, २०८३

देवी तुम्बापो
प्रशासकीय अधिकृत

१. **गाउँपालिकाको स्वरूप र प्रकृति :** नेपाल एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा रुपान्तरित भएको छ । संघीय व्यवस्था अनुसार नेपालमा संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भएको छ, जसमा पाँचथर जिल्लामा ८ स्थानीय तहको गठन भएको छ । फाल्गुनन्द गाउँपालिका मेची अञ्चलको पाँचथर जिल्लामा अवस्थित छ । विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको जनसंख्या २५,००० रहेको छ । वि.सं. २०७३/११/२७ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित भएसँगै र पछिल्ला सचिवस्तरीय निर्णयसँगै देशका विभिन्न ७५३ वटा स्थानीय तह भएसँगै यो गाउँपालिका पनि अस्तित्वमा आएको छ । स्थानीयवासीहरुलाई सर्वसुलभ ढंगले सेवा उपलब्ध गराउन यो गाउँपालिकालाई जम्मा ७ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । साविकका नवमीडाँडा, इम्बुङ, पौवा सारताप, चिलिङदिन, फाक्तेप र आङसराङ गा.वि.स.लाई समावेश गरि यो गाउँपालिका निर्माण गरिएको हो । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा ईलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र पश्चिममा कुम्मायक गाउँपालिका, उत्तरमा फिदिम नगरपालिका र दक्षिणमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका रहेका छन् । यो गाउँपालिका पाँचथर जिल्लाको दक्षीण पश्चीम क्षेत्रको दुर्गम स्थानमा रहेको गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकामा ५५ प्रतिशत लिम्बु १५ प्रतिशत क्षेत्री बाहुन १० प्रतिशत राई १० प्रतिशत तामाङ्ग ५ प्रतिशत दलित १ प्रतिशत सुनुवार १ प्रतिशत मगर १ प्रतिशत नेवार तथा २ प्रतिशात माझी, कुमाल लगायतका अल्पसङख्यक र अन्य जातीको बसोबास रहेको छ । यो गाउँपालिका सदरमुकाम फिदिम देखी लगभग १५ कि.मि. टाढा रहेको छ । यो लब्रेकुटी, सिलौटी डाडा, पौवाभञ्ज्याङ, तिजोक डाँडा, नाम्तोक डाँडा, सुकेपोखरी लगायत अन्य थुप्रै प्राकृतिक तथा नाम्सामी–केसामी, युमा माङहिम, सिंहदेवी मन्दिर, निवुखोला स्थित पवित्र तिर्थस्थल साप्सु आदिजस्ता धार्मिक सम्पदाहरुले सजिएर रहेको गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकालाई ७ वडामा बिभाजन गरीएको छ । यसमा आदिवासी जनजातीको बाहुल्यता रहेको छ ।

**गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय : १**
**न्यायिक समिति : १**
**वडा कार्यालय : ७**
**स्वास्थ्य चौकी : ६, सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई :२,**
**आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र : १**
**आयुर्बेद औषधालय : २, अस्थाई आयुर्बेद औषधालय : १**

२. काम कर्तव्य र अधिकार :

न्याय सम्पादनको भूमिका : स्थानीय तह कार्यान्वयन सँगै अब सामान्य झैझगडा असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट अन्त्य भएको छ। अब गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखले एक हदसम्म न्यायाधीशको भूमिका खेल्नेछन् । नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको स्थानीय तहको संरचनाले जिल्लाबाट मात्र मुद्दाको छिनोफानो हुने ब्यवस्था खारेज गरेको छ ।

नगर प्रहरी र गाउँ प्रहरी : स्थानीय तहमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्य अब स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा संविधानले सुम्पेको छ । स्थानीय प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न सरकारले लागु गरेका नीति, कानुन मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सम्पति संरक्षण गर्ने, सभा, समारोह, जात्रा, चाडपर्व, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको आदेश फैसला कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम लगायतमा सहयोग गर्न स्थानीय तहले नगर अथवा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

सहकारी संस्था : कृषक, कालिगढ, कम पूँजिवाल र निम्न आय भएका श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको लागि सञ्चालन गरिने सहकारी संस्था दर्ता,

अनुमति, खारेजी र विघटन पनि अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस भन्दा अगाडि रजिस्ट्रारको अधीनमा हुने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ ।

**एफएम रेडियो सञ्चालन :** स्थानीय तहमा एफ एम रेडियो सञ्चालन अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिने व्यवस्था गरिएको छ । एफ एम रेडियो यन्त्र राख्ने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नियन्त्रण र नियमित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधाण जनताको सदाचार कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हुनेछ । रेडियो ऐन २०१४ मा उल्लेखित दफा ५ अनुसार लाइसेन्स् प्राप्त गर्न यसअघि नेपाल सरकारवाट तोकिने अधिकारी पनि अब स्थानीय तहबाटै तोकिने छ ।

**स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन :** स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले नीति कार्यान्वयनको साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरुबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । तसर्थ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । स्थानीय प्रशासनका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानीक काम कर्तव्यमा पर्दछ ।

**राजस्व सङ्कलन :** स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, समस्तिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालिन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यभार पनि स्थानीय तहमा आएको छ । सो व्यस्थापनको लागि स्थानीय निकायले अब आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पति र घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड, जरिवाना लगायतका राजस्व सङ्कलनको अधिकार संविधानले नै तोकेको छ । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा निर्धारण र सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिंग, कायाकिंग, क्यानोनिंग र राफ्टिङ्ग शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदानप्रदान, राजस्व नियन्त्रण सम्बन्धि नीति, कानुन मापदण्ड निर्धारण र नियन्त्रणका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

**स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन :** स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धि नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको मातहतमा परेको छ । योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण, पंजीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्याङ्किय अभिलेख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने कार्य पनि संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

**स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना :** संविधानले सहभागितात्मक विकासशैली अवलम्बन गर्ने नीति ल्याएको छ । संविधानले समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजीक परिचालन, आदिबासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजना वनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न वनाएको छ ।

**आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई :** आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानले स्थानीय तहलाई बनाएको छ । स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन र प्रवद्र्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, रक्तसञ्चार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन, तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहलाई संविधानले जिम्मा दिएको छ ।

**आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा :** स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास एवं बिस्तारको लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्नेदेखिका कार्यभार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

**सडक, कृषि र सिँचाई :** स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाईसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । सडक, कृषि, सिँचाई, तटबन्ध, झोलुङ्गे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवद्र्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने । स्थानीय तहमा ट्रलीबस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरिय मेट्रोसिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**स्थानीय बजार व्यस्थापन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता** : स्थानीय वातावारणीय नीतिनियम सम्बन्धि संयन्त्रको सवलिकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने, प्रदुषण रोकथाम, प्राकृतिक सम्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसै गरी स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्यहरू पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

**घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण** : आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भूमिसंग सम्वन्धित सेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूण सुचनाहरु कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने, प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर–जग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भुमिको वर्गिकरण अनुसारको लगत, जग्गाको विवादको समाधानको काम पनि स्थानीय तहवाटै हुनेछ ।

**जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन** : संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चत गरेको छ । जसले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम समाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो नागरिक अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन लगाएतका सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।

**कृषि तथा पशुपालन** : कृषि वस्तुको बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, साना र सीमान्त वर्गका किसानका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गर्ने । कृषि विकास र वातावरण संरक्षण विच सन्तुलन कायम राखी दिगो कृषि विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । कृषि सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ ।

**खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक उर्जा** : स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत आयोजना र स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

**बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन** : संविधानको धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारीको हकअन्तर्गत प्रत्यैक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरीएकोले अव रोजगार र बेरोजगारको तथ्याँक सङ्कलन, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको हो ।

**भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण** : भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालयको संरक्षण स्थानीय तहबाटै हुनेछन् । यसरी संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको प्रशासनिक बन्दोबस्तका साथै कानुनी, भौतिक, वित्तीय एवं सङ्गठन संरचनादेखि लिएर एकात्मक शासनमा चलेका निजामति सेवालाई सङ्घीयकरण गर्नु अहिलेको प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको प्रमुख चुनौती हो ।

**जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण** : जलाधार तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षण सम्बन्धी कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

**विपद् व्यवस्थापन** : विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरुको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

देवी तुम्बापो
प्रशासकीय अधिकृत

३. कार्यालय संरचना :

(ख) २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका गाउँपालिकाको संगठन संरचना (१२८वटा)

(अनुसूची २.१)

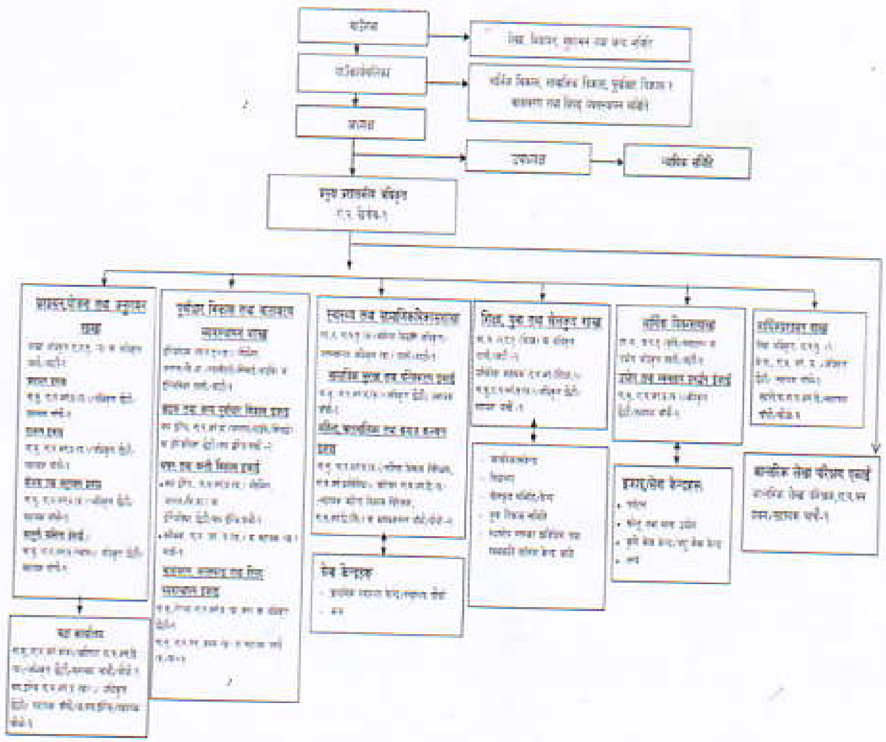

४. प्रदान गरिने सेवा :

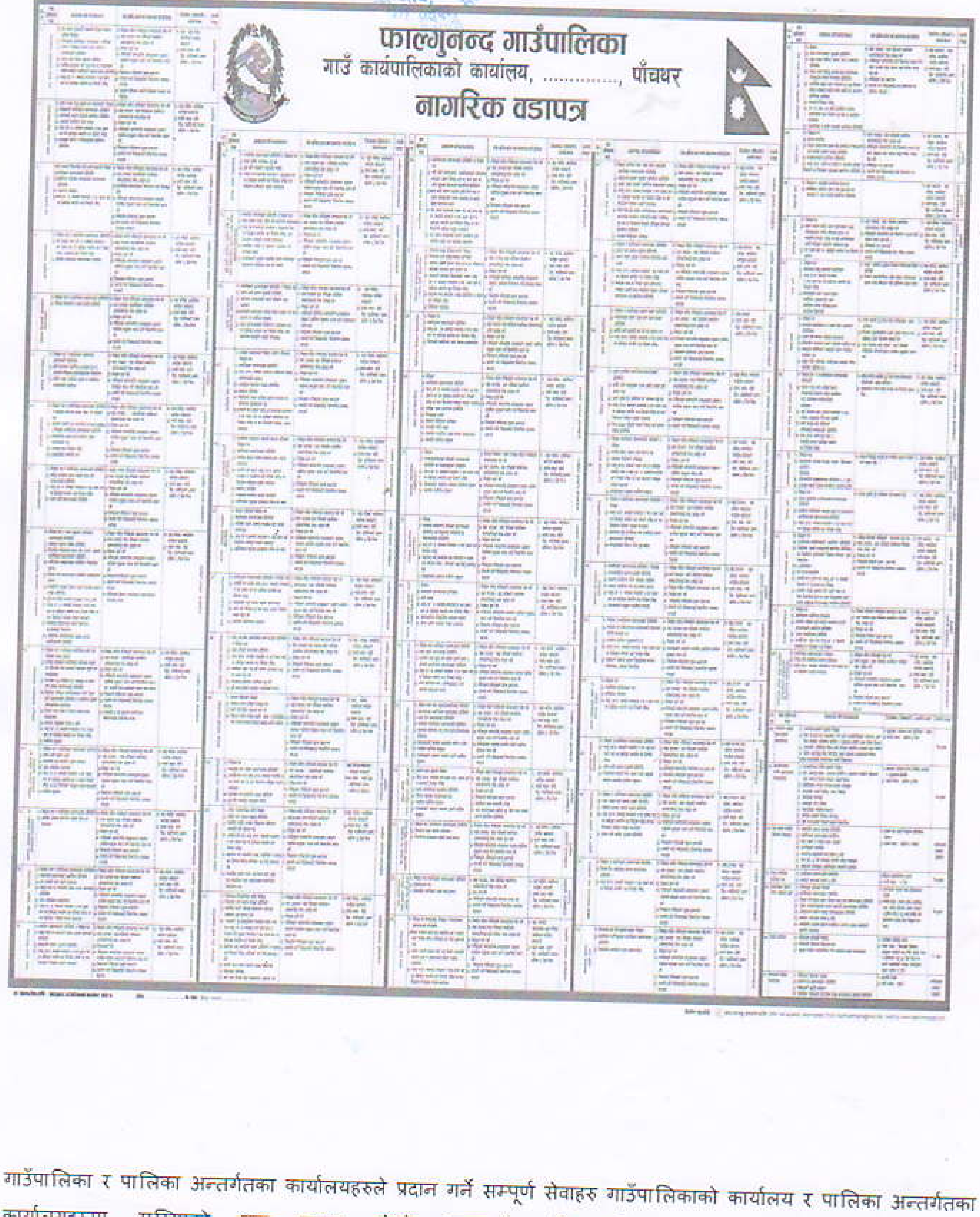

फाल्गुनन्द गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, ............., पाँचथर
नागरिक वडापत्र

गाउँपालिका र पालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरु गाउँपालिकाको कार्यालय र पालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा राखिएको वडा पत्रमा रहेको जानकारी पनि गरीन्छ । साथै गाउँपालिको वेबसाईट www.phalgunandamun.gov.np मा गएर हेर्नुहुन पनि अनुरोध छ ।

५. सेवा प्रदान गर्ने शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

| क्र.सं. | शाखा | कर्मचारी विवरण | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | प्रशासन | देवी तुम्बापो (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)<br>निर्मल अधिकारी (प्रशासन शाखा प्रमुख)<br>गोपाल हाङ चेम्जोङ (कार्यालय सहयोगी) | |
| २ | योजना | निर्मल अधिकारी (योजना शाखा प्रमुख)<br>जीवन पोखेल (कार्यालय सहयोगी)<br>गीता नेम्बाङ (कार्यालय सहयोगी) | |
| ३ | जिन्सी | निर्मल अधिकारी (जिन्सी शाखा प्रमुख)<br>दिपेश आङदेम्बे (सहायक कम्प्युटर अपरेटर) | |
| ४ | आर्थिक प्रशासन | चन्द्र बहादुर सुब्बा(लेखापाल)<br>दर्पण अधिकारी(कम्प्युटर अपरेटर) | |
| ५ | पूर्वाधार | ऋषिकेश तुम्रोक (ईन्जिनियर)<br>रुबेन चौधरी (सब ईन्जिनियर)<br>सुनिल गर्तौला (सब ईन्जिनियर)<br>राम मोक्तान (सब ईन्जिनियर)<br>पपन बहादुर थापा (असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर)<br>महिन्द्र पोखेल (असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर)<br>सुमन लुइँटेल (असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर)<br>जुना रिजाल (असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर) | |
| ६ | सूचना तथा प्रविधि | उसब आचार्य (सूचना प्रविधि अधिकृत) | |
| ७ | शिक्षा | मेदनी प्रसाई(शिक्षा अधिकृत)<br>बाबुराम राई | |
| ८ | स्वास्थ्य | बेचेन मण्डल(संयोजक)<br>बाल कृष्ण दाहाल (सह-संयोजक)<br>लक्ष्मी देवी श्रेष्ठ (सह-संयोजक) | |
| ९ | आयुर्बेद | राजु पराजुली (संयोजक / व.क.नि.)<br>बेचन मण्डल (व.क.नि.)<br>राज कुमार श्रेष्ठ (व. वैद्ध)<br>प्रमोद कुमार यादव (व. वैद्ध) | |
| १० | कृषि | सुगम घिमिरे (संयोजक)<br>सुलोचना थापा<br>ईश्वर चन्द ठाकुर(प्रा.स.) | |
| ११ | पशुपंक्षी | निमेष चौधरी(पशु विकास अधिकृत)<br>गोपाल प्रसाद घिमिरे<br>डिल्ली नेम्बाङ(का.स.) | |
| १२ | न्यायिक समिति | थम राज जैसी (उजुरी प्रशासक)<br>हिलिना नेम्बाङ (कार्यालय सहयोगी) | |
| १३ | सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण | नरेन्द्र पोखेल (फिल्ड सहायक) | |
| १४ | रोजगार | विचार सिंह लावती (रोजगार संयोजक)<br>राजन रम्तेल( रोजगार सहायक) | |
| १५ | वडा नम्बर १ | प्रदिप थापा (वडा सचिब)<br>रेखा लिम्बु(कार्यालय सहायक)<br>कुबेर आङदेम्बे (स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज)<br>रुद्र आचार्य(सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई)<br>सुबास चन्द्र चौधरी(हे.अ.) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | हरिमाया गौतम(सी.अ.न.मि)<br>सुन्दरी तुम्बापो(अ.न.मि)<br>कोपिला लावती(अ.हे.ब)<br>सुक माया राई(अ.न.मि.)<br>डिल्ली राम नेम्बाङ(प्रा.स.)<br>मिना घर्ति मगर( ना.प्रा.स.) | |
| १६ | वडा नम्बर २ | केशब आचार्य (वडा सचिब)<br>दिपा चापागाई(कार्यालय सहायक)<br>दिनेश भट्टराई (स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज)<br>सुरेस प्रसाद देव(सी.अ.हे.ब.)<br>सुनिल कुमार मंडल(अ.हव.ब.)<br>कविता लावती(अ.न.मि)<br>झुमा नेम्बाङ(अ.न.मि)<br>शेशेहाङ नेम्बाङ(ना.प.से.प्रा.) | |
| १७ | वडा नम्बर ३ | इन्दिरा गौतम (वडा सचिब)<br>जयमिला नेम्बाङ( कार्यालय सहायक)<br>विष्णुमाया तामाङ( ना.प्रा.स.)<br>निर माया नेम्बाङ( स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज)<br>सेसेना थाम्सुहाङ(हे.अ.)<br>इक्सा नेम्बाङ(अ.न.मि.)<br>अस्मिता लावती (अ.न.मि) | |
| १८ | वडा नम्बर ४ | पन्च राज नेम्बाङ (वडा सचिब)<br>नबिना लिम्बु( कार्यालय सहायक)<br>तिर्थ राज नेम्बाङ (स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज)<br>अमर नेम्बाङ(हे.अ.)<br>करिश्मा वि.क.(अ.न.मि.)<br>भोलि चौधरी((अ.न.मि)<br>मन कुमारी राई(अ.न.मि)<br>गोबिन्द राज विश्वकर्मा(अ.हे.ब.) | |
| १९ | वडा नम्बर ५ | थम राज जैसी(वडा सचिब)<br>सहर बहादुर चेम्जोङ (कार्यालय सहायक)<br>उपेन्द्र पोखेल(डाक्टर)<br>कोपिला लिम्बु (स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज)<br>सबिता ढुंगाना(हे.अ.)<br>स्वस्तिका जोशी(अ.न.मि)<br>बाल कुमारी चेमजोङ(ल्याब असिस्टेन्ट)<br>गरिमा थापा(अ.न.मि)<br>गंगा बुढा (प.से.प्रा.)<br>पुनम हाङसरुम्बा( ना.प.से.प्रा.) | |
| २० | वडा नम्बर ६ | दुर्गा प्रसाद अधिकारी(वडा सचिब)<br>मिना ओजा रिजाल(कार्यालय सहायक)<br>भद्रा नेपाली (स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज)<br>राधिका चेम्जोङ(हे.अ.)<br>कोपिला ढोबाल(अ.हे.ब.)<br>पुजा कुमारी शाह (अ.न.मि)<br>विष्णु माया थेबे (अ.न.मि)<br>करन सिंह धामी( ना.प.से.प्रा.) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २१ | वडा नम्बर ७ | राजेन्द्र लुईटेल (वडा सचिव)<br>राधिका नेम्बाङ( कार्यालय सहायक)<br>प्रतिमा लिम्बु (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ईन्चार्ज)<br>कमला तिमसिना(ना.प्रा.स.)<br>सुजन न्येउपाने(ना.प.प्रा.स.) | |

६. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि :

**सेवा सम्बन्धि दस्तुर र अवधि**

**अनुसूची - १**

(दफा २ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित)

**सम्पत्ति करको दर**

| क.सं. | सम्पत्तिको मूल्य | बार्षिक दर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाख रुपैयां सम्मको मुल्यांकनमा | १०० |
| २. | ५ लाख १ देखि दश १० रुपैयां सम्म | २०० |
| ३. | १० लाख १ देखि २५ रुपैयां सम्म | ३०० |
| ४. | २५ लाख १ देखि ५० लाख रुपैयां सम्म | ५०० |
| ५. | ५० लाख १ देखि ७५लाख रुपैयां सम्म | १५०० |
| ६. | ७५ लाख १ देखि एक करोड रुपैयां सम्म | २००० |
| ७. | १ करोड १ देखि भन्दा माथि रुपैयांमा | ३००० |

## अनुसूची - २

(दफा २ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

### घरको तथा जग्गाको मूल्यांकन दर

(क) घरको मूल्यांकन दर

| क.सं. | घरको प्रकार | घरको मुल्यांकन रकम (प्रति वर्ग फिट) रु मा |
|---|---|---|
| १ | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर (प्रति तला) | २५ |
| ५ | जस्ता वा टायलको छाना भएको टहरा वा सेड | ५ |
| ६ | कच्ची घर (एकमुष्ठ) | २ |

नोट: माथि उल्लेखित बाहेक अन्य किसिमका संरचना भएमा लागतको आधारमा मिल्दो जुल्दो प्रकार तथा वनोटमा उल्लेखित दरको आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ ।

(ख) जग्गाको मूल्यांकन दर

घरले चर्चेको जग्गाको मूल्यांकनका लागि जग्गाको हालको मालपोत रजिष्ट्रेशनको दरलाई आधार मानिनेछ ।

## अनुसूची -३

(दफा २ को उपदफा (३) संग सम्वन्धित)

### घरको ह्रास कट्टी दर

| क्र.सं. | बनोटको किसिम | ह्रासकट्टी दर रु |
|---|---|---|
| १ | आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर भएको भवन वा गोदाम | वार्षिक १.५ प्रतिशतका दरले ६० वर्षसम्म |
| २ | सिमेण्ट वा माटोको जोडाइमा ईट्टा वा ढुङ्गाको गारो भई आर.सि.सि. छाना भएको भवन वा गोदाम | वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ४५ वर्षसम्म |
| ३ | सिमेन्ट वा माटोको जोडाइमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो जस्ता/टायलको छाना भवन वा गोदाम | वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ३० वर्षसम्म |
| ४ | जस्ता वा टायलको छाना भएको सेड | वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले १८ वर्षसम्म |
| ५ | कच्ची घर | वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ९ वर्षसम्म |

## अनुसूची - ४

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

### मालपोतको दर

गाउँपालिकाको भूउपयोग वर्गिकरण योजना बमोजिम

| क्रसं | व्यावसायिक क्षेत्र | दर रु. |
|---|---|---|
| १. | राँकि वजार (गेलीभञ्याङ देखि मुक्ति आचार्यको चिया फ्याक्ट्रि सम्म), नवमीडाँडा वजार (वडा वार्यालय देखि कभर्डहल सम्म), घुर्बिसे पञ्चमी वजार (सल्लाघारी ओरालो देखि आयुर्वेद औषधालय सम्म) पुरानो पञ्चमी वजार, मेहेलबोटे वजार (स्वाथ्य चौकी देखि चुच्चे ढुंऊ सम्म) बसाँगु वजार (ठुटे पसल देखि डिल्लिको घर सम्म) पात्ले भञ्याङ वजार, देउराली वजार र दशमी वजारमा घर वनाउने/घडेडी प्रयोजनको लागि ८ आना सम्म प्रति आना | ५० |
| २ | अन्य व्यावसायिक क्षेत्र (सबै) प्रति रोपनी | २० |

*सार्वजानिक क्षेत्रमा गाउँपालिकाले बहाल विटौरी कर लगाउने छ ।*

ख: अन्य क्षेत्र (प्रति रोपनी)

| करदाता सम्बन्धी विवरण | प्रस्तावित दर रू |
|---|---|
| आवासिय क्षेत्र प्रति रोपनी | १५ |
| कृषी क्षेत्र प्रति रोपनी | १० |
| जंगल तथा पाखो प्रति रोपनी | ५ |

नोटः मालपोत गतग विगतको वक्यौता असुलीमा तपसिल बमोजिम जरिवना लाग्ने छ - (हाल मुल्याङ्कन भएको रकमको)

भएको

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ | वर्ष | ५ | प्रतिशत |
| २ | वर्ष | १० | प्रतिशत |
| ३ | वर्ष | १५ | प्रतिशत |
| ४ | वर्ष | २० | प्रतिशत |
| ५ | वर्ष | २५ | प्रतिशत |
| ६ | वर्ष देखि माथि | ३० | प्रतिशत |

**नोटः एकपटकका लागि आ ब २०८१/२०८२ को असोज मसान्त भित्र मालपोत कर बुझाएमा जरिवाना लाग्ने छैन।**

## अनुसूची -५

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

### घर जग्गा बहाल करको दर

| क्र.सं. | जग्गा तथा घर भाडामा लिने | करको दर रु. |
|---|---|---|
| १ | लेखा परीक्षण गराउने दायित्व भएका संस्थाहरूले बहालमा लिएको घरजग्गा | बहाल रकमको १० प्रतिशत |
| २ | अन्य (व्यापार, व्यवसायिक, घरयासी वा कृषी) प्रयोजनका लागि लिएको घरजग्गा | बहाल रकमको १० प्रतिशत |

## अनुसूची - ६
(दफा ५ संग सम्वन्धित)

### व्यवसाय रजिष्ट्रेशन तथा व्यवसाय करको दररेट

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको व्यापार तथा व्यवसाय गर्नेले गाउँपालिकावाट व्यवसाय इजाजत पत्र लिई वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ । व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा लाग्ने व्यवसाय करको दर देहाय बमोजिम रहेको छ :

| क्र.सं. | व्यवसायको किसिम | रजिष्ट्रेशन वस्तुर रु. | वार्षिक नविकरण शूल्क |
|---|---|---|---|
| १. | **व्यापारिक वस्तु (वर्ता र नविकरण)** | | |
| १.१ | किराना वस्तु | १००० | ३०० |
| १.२ | खाद्य पदार्थ | १००० | ३०० |
| १.३ | औषधी | १००० | ३०० |
| १.४ | निर्माण सामाग्री | १००० | ३०० |
| १.५ | भाडावर्तन तथा विजुली सामान | १००० | ३०० |
| १.६ | कपडा तथा फेन्सी | १००० | ३०० |
| १.७ | मदिरा तथा चुरोट | १००० | ३०० |
| १.८ | पुस्तक तथा स्टेशनरी | १००० | ३०० |
| १.९ | सैलुन दर्ता | ५०० | ५०० |
| १.१० | सैलुन १ सिट नविकरण | ३०० | ३०० |
| १.११ | सैलुन २ सिट नविकरण | ५०० | ५०० |
| १.१२ | व्युटि पार्लर तथा व्युटिसियन तालिम | १००० | ५०० |
| १.१३ | सुन चाँदी व्यवसाय | २००० | १००० |
| १.१४ | सिलाई कटाई व्यवसाय | १००० | ५०० |
| १.१५ | फ्रेस हाउस | १००० | ५०० |
| २. | **विषेशज्ञ सेवा (वर्ता र नविकरण)** | | |
| २.१ | चिकित्सा/नर्सिङ्ग | १००० | ३०० |
| २.२ | तालिम तथा परामर्श | १००० | ३०० |
| २.३ | कानुनी तथा मध्यस्थता | १००० | ३०० |
| २.४ | कर तथा उद्योग व्यवसाय | १००० | ३०० |
| २.५ | सुचना, सचार र विज्ञापन | १००० | ३०० |
| २.६ | इञ्जिनियरिङ्ग र प्राविधिक | १००० | ३०० |
| २.७ | अध्ययन तथा अनुसन्धान | १००० | ३०० |

| क्र.सं. | व्यवसायको किसिम | रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु. | वार्षिक नविकरण शूल्क |
| --- | --- | --- | --- |
| ३. | सेवा व्यवसाय (दर्ता र नविकरण) | | |
| ३.१ | होटेल तथा रेष्टुरेण्ट | १००० | ३०० |
| ३.२ | फोटो, भिडियो र फिल्म स्टुडियो | १००० | ३०० |
| ३.३ | कम्प्युटर तथा मोबाईल | १००० | ३०० |
| ३.४ | निर्माण व्यवसाय (घ वर्गको दर्ता) | २०००० | १०००० |
| ३.५ | निर्माण व्यवसाय (नविकरण) | ३००० | १५०० |
| ३.६ | व्युटी पार्लर तथा कस्मेटिक्स | १००० | ३०० |
| ३.७ | गाडी पार्टस्, कार्यशाला र मर्मत | १००० | ५०० |
| ३.८ | ट्राभल, टुरिजम तथा गाईड | १००० | ५०० |
| ३.९ | एफएम रेडियो संचालन दर्ता | ५००० | ३००० |
| ३.१० | अन्य सेवा | १००० | ५०० |
| ४. | उद्योग तर्फ: दर्ता र नविकरण | | |
| ४.१ | उत्पादनमूलक वस्तुहरु | १००० | ५०० |
| ४.२ | प्रशोधनमूलक वस्तुहरु | १००० | ५०० |
| ४.३ | सेवामूलक कार्यहरु | १००० | ५०० |
| ४.४ | ग्रल वर्कसप | १००० | ५०० |
| ४.५ | फर्निचर | १००० | ५०० |
| ४.६ | मोटर साइकल वर्कसप | १००० | ५०० |
| ४.७ | अन्य भेहिकल वर्कसप | १००० | ५०० |
| ५. | वित्तीय सेवा तर्फ | | |
| ५.१ | बैंक क वर्ग वाणिज्य | १०००० | ६००० |
| ५.२ | बैंक ख वर्ग विकास | ६००० | ३००० |
| ५.३ | विमा तथा शेयर | ५००० | २००० |
| ५.४ | लघुवित्त | ४००० | १५०० |
| ५.५ | सहकारी ऋण तथा बचत दर्ता | ३००० | १५०० |
| ५.६ | सहकारी कृषि दर्ता | १००० | ५०० |
| ६. | स्वास्थ्य सेवा | | |
| ६.१ | अस्पताल | २००० | १००० |
| ६.२ | मेडिकल | १००० | ५०० |
| ६.३ | फार्मेसी | १००० | ५०० |
| ६.४ | प्याथोलोजी | १००० | ५०० |

| क.सं. | व्यवसायको किसिम | रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु. | वार्षिक नविकरण शुल्क |
|---|---|---|---|
| ७. | **शिक्षा सेवा** | | |
| ७.१ | नीजि विद्यालय मावि दर्ता | १०००० | ३००० |
| ७.२ | नीजि विद्यालय आवि दर्ता | ८००० | २००० |
| ७.३ | ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर | १००० | ५०० |
| ७.४ | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र | १००० | ५०० |
| ७.५ | शैक्षिक परामर्श सेवा कम्पनी विभिन्न भाषाका | १००० | ५०० |

(नोटः- व्यवसाय नविकरण छुट जरिवाना (अनुसूची -६) मा शुल्क १००% लाग्नेछ ।)

अनुसूची -७

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

बहाल बिटौटी शुल्कको दर

क. ऐलानी तथा सार्वजनिक स्थलको उपयोग

| क.सं. | स्थान | शुल्कको दर रु |
|---|---|---|
| १ | गाउँपालिका क्षेत्रका सडकको दायाँ बायाँको जग्गा उपभोग गरे बापत | बजार क्षेत्रमा प्रति रोपनी न्यूनतम मासिक रु ५०० र अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम मासिक रु १५० |
| २ | सार्बजनिक स्थलमा पटके रुपमा उपयोग गरे बापत | प्रति १०० वर्गफिट माषिक रु. २००० |
| ३ | सार्बजनिक स्थलमा पटके रुपमा उपयोग गरे बापत संरचना भएकोमा | प्रति १०० वर्गफिट माषिक रु. ३००० |

अनुसूची - ८

(दफा ७ संग सम्बन्धित)

## जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु तथा कृषिजन्य वस्तुहरुको करको दर

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन वा संकलन भई व्यवसायिक उपयोग हुने देहाय अनुसार वस्तुहरूमा देहाय बमोजिम जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर लिइनेछ :

| जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु तथा कृषि जन्य वस्तु | | | |
|---|---|---|---|
| सि.नं. | सामान/वस्तुको नाम | इकाई | २०८१/८२ को दररेट |
| १ | ऊन प्राकृतिक कृत्रिम | प्रति के.जी. | रु. ०.१० |
| २ | खोटो | प्रति के.जी | रु. ०.५० |
| ३ | वनकस खर वावियो मलहल पत्ता छ्वाली पराल निगालोको पटेर , बगास | प्रति ट्र्याक्टर | रु. ३५ |
| | | प्रति ट्रक | रु.१०० |
| ४ | अम्लिसो कुचो | प्रति पिक अप | रु ३०० |
| | | प्रति ट्र्याक्टर | रु ५०० |
| | | प्रति ट्रक/ट्रिपर | रु ८०० |
| ५ | अर्गेलीको लोक्ता, कागतेको लोक्ता | प्रति पिक अप | रु. २०० |
| | | प्रति ट्र्याक्टर | रु. ४०० |
| | | प्रति ट्रक/ट्रिपर | रु ६०० |
| ६ | अम्लिसो डँठ | प्रति ट्र्याक्टर | रु. १०० |
| | | प्रति ट्रक | रु. ३०० |
| ७ | बाँस | प्रति ट्र्याक्टर | रु. ३०० |
| | | प्रति ट्रक/ट्रिपर | रू. ५०० |
| ८ | खयर | प्रति ट्रक | रु. ३५०० |
| | | प्रति ट्र्याक्टर | रु. २५०० |
| ९ | अन्य काठ,गोलिया,चिरान चट्टा,गोलिया. | प्रति ट्याक्टर | रु. ४०० |
| | | प्रति ट्रक | रु. १२०० |
| | | प्रति क्युफिट | रु. ३ |
| १० | कुकाठ चिरानी | प्रति ट्र्याक्टर | रु. ७५० |
| | | प्रति ट्रक | रु. १४०० |
| ११ | सालको वियाँ | प्रति के.जी. | रु. १ |
| १२ | पत्थर कोईला | प्रति के.जी. | रु. १० |
| १३ | कदम दाना | प्रति के.जी. | रु. १ |
| १४ | नागवेली. | प्रति के.जी. | रु. १० |
| १५ | सल्लाको सिम्टा | प्रति के.जी. | रु. १० |

| जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु तथा कृषि जन्य वस्तु | | | |
|---|---|---|---|
| सि.नं. | सामान/वस्तुको नाम | इकाई | २०८१/८२ को दररेट |
| १६ | लोट सल्ला | प्रति के.जी. | रु. २ |
| १७ | जडिबुटी अन्य | प्रति के.जी. | रु.१.५० |
| १८ | ढुंगाको/रुखको झ्याउँ | प्रति के.जी. | रु. ३ |
| १९ | चिराईतो , | प्रति के.जी. | रु. ५ |
| २० | पिना | प्रति के.जी. | रु. १ |
| २१ | भुस | प्रति के.जी. | रु. १ |
| २२ | सिन्कौली (तेजपत्ता), लेमन, ग्रास | प्रति के.जी. | रु. २ |
| २३ | लप्सी तथा बियाँ | प्रति के.जी. | रु. १ |
| २४ | स्टिप चिरान र भेनियर पत्ती | प्रति ट्रक/ट्रिपर | रु ६०० |
| २५ | टिमुर | प्रति के.जी. | रु. १ |
| २६ | मजिटो | प्रति के.जी. | रु. ३ |
| २७ | बुकिफुल | प्रति के.जी. | रु. ३ |
| २८ | विखमा,कुटकी,जटामसि | प्रति के.जी. | रु. ५ |
| २९ | सिलाजित | प्रति के.जी. | रु. १० |
| ३० | चुश्रो | प्रति के.जी. | रु. २ |
| ३१ | नेपाली कागज | प्रति के .जी | रु. ५ |
| ३२ | दाउरा | प्रति ट्रयाक्टर | रु १५० |
| | | प्रति ट्रक | रु ३०० |
| ३३ | रिठो,अमला,हर्रो,वर्रो, | प्रति के.जी. | रु २ |
| ३४ | एलोभेरा (घिउकुमारी ) | प्रति के.जी. | रु २ |
| ३५ | रुद्राक्ष | प्रति के.जी. | रु.१ |
| ३६ | वेल | प्रति के.जी. | रु २ |
| ३७ | बोझो | प्रति के.जी. | रु २ |
| ३८ | प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुपंछीहरुको आखेटोपहार | | |
| ३८.१ | पंछीको प्वाख | प्रति के.जी. | रु. ५ |
| ३८.२ | सिंग | प्रति के.जी. | रु. ५ |
| ३८.३ | खुर | प्रति के.जी. | रु. ५ |
| ३८.४ | छाला | प्रति के.जी | रु. २० |
| ३९ | ढुंगा | प्रति घन मिटर | रु. २५ |
| ४० | बालुवा | प्रति घन मिटर | रु. ३० |

| जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु तथा कृषि जन्य वस्तु | | | |
|---|---|---|---|
| सि.नं. | सामान/वस्तुको नाम | इकाई | २०८१/८२ को दररेट |
| ४१ | गिटी | प्रति घन मिटर | रु. ३० |
| ४२ | ग्रावेल | प्रति घन मिटर | रु. ३० |
| ४३ | इटा | प्रति ट्रयाक्टर | रु. १०० |
| | | प्रति ट्रक/टिपर | रु २००/- |
| ४४ | खाली सीसी, प्लाष्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चपल, ग्यालन र जर्किन), खाली बोरा, तेलको टिन, धातुका टुक्राहरू, पुन : प्रशोधन (रिसाइक्लिङ) गरी पुनः प्रयोगमा आउन सक्ने सामानहरू | ठूलो प्रति ट्रक | रु. ५०० |
| | | सानो प्रति ट्रक, टिपर, | रु. ३०० |
| | | प्रति ट्रयाक्टर | रु. २०० |
| ४५ | अकबरे खुर्सानी | प्रति केजी | रु १ |
| ४६ | टमाटर | प्रति केजी | रु १ |
| ४७ | बन्दा कोपी/फुलकोपी/मुला/ ईस्कुसको फल | प्रति पिक अप | रु ७०० |
| ४७.१ | गाजर र इस्कुसको जरा | प्रति केजी | रु १ |
| ४८ | अन्य तरकारी | प्रति केजी | रु ०.५० |
| ४९ | घिउ | प्रति केजी | रु २ |
| ५० | छुर्पी | प्रति केजी | रु ३ |
| ५१ | चिज | प्रति केजी | रु ४ |
| ५२ | किवि फल/एभोकाडो | प्रति केजी | रु २ |
| ५३ | अलैंची | प्रति केजी | रु ५ |
| ५४ | सुन्तला/जुनार | प्रति केजी | रु २ |
| ५५ | कागती | प्रति केजि | रु २.५० |
| ५६ | अन्य फलफुल | प्रति केजी | रु १ |
| ५७ | अन्य जडिबुटी | प्रति केजी | रु १ |
| ५८ | सुन्तला/कागति/एभोकाडो/किवीको बिरुवा | प्रति सयमा | रु ५० |
| ५९ | अन्य फलफुल र अन्य बोटबिरुवाको नर्सरी बिरुवा | प्रति सयमा | रु ४० |
| ६० | पशु चौपाया निकासी | | |
| ६०.१ | गाई भैंसी राँगो गोरु जिउदो निकासी | प्रति गोटा | रु १०० |
| ६०.२ | बाख्रा,बंगुर,पाठापाठी,बाछाबाछी,पाडापाडी जिउदो निकासी | प्रति गोटा | रु १५ |

## अनुसूची- ९

(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

### सेवा शुल्क तथा बस्तुरको दर

| सि.नं | शिफारिश, अनुमती तथा प्रमाणीकरणको विवरण | इकाई | शुल्क वा बुस्तुरको दर ( रु.) |
|---|---|---|---|
| क. | निवेदन बस्तुर | | |
| १ | निवेदन दस्तुर | पटक | नि:शुल्क |
| २ | उजुरी तथा मुद्दा वस्तुर | पटक | १०० |
| ख. | प्रमाणीकरण तथा शिफारिस बस्तुर | | |
| १ | अंग्रेजीमा गरिने सवै सिफारिस र प्रमाणीत | प्रति | ३०० |
| २ | नागरिकता सिफारिस | वंशज प्रति | ३०० |
| | | वैवाहिक अंगिकृत प्रति | १५०० |
| | | अंगिकृत प्रति | ५०० |
| | | प्रतिलिपि प्रति | ५०० |
| | नागरिक्ता लगायत सरजमीन सिफारिस दस्तुर | प्रति | ५०० |
| ५ | नाता प्रमाणित स्वदेश प्रयोजन | प्रति | ३०० |
| | | जन्म तथा वसाई सराई प्रमाणित (२०४७ अघि | ५०० |
| | | मृत्यु तथा विवाह प्रमाणित (२०४७ अघि) | ५०० |
| ६ | नाता प्रमाणित विदेश प्रयोजन | प्रति | ५०० |
| ७ | नाता कायम सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ८ | पारिवारिक विवरण सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ९ | वसोवास प्रमाणित सिफारिस | प्रति | ५०० |
| १० | नावालक सिफारिस | प्रति | ३०० |
| ११ | जन्म मिति प्रमाणित सिफारिस | प्रति | ५०० |
| १२ | वैवाहिक सम्वन्ध प्रमाणित सिफारिस | प्रति | ५०० |
| १३ | अविवाहित प्रमाणित सिफारिस | प्रति | ५०० |
| १४ | व्यक्तिगत प्रमाणित सिफारिस | प्रति | ५०० |
| १५ | चारीत्रिक प्रमाणित सिफारिस | प्रति | १००० |
| १६ | सम्वन्ध विच्छेद प्रमाणित सिफारिस | प्रति | १००० |
| १७ | खानेपानी, टेलिफोन जडान, नामसारी, ठाउँसारी | प्रति | ५०० |
| १८ | विद्युत मिटर जडान सिफारिस (घरायसी) | प्रति | ५०० |
| १९ | विद्युत मिटर जडान सिफारिस (उद्योग) | प्रति | १००० |
| २० | ठूला उद्योग सिफारिस | प्रति | ३००० |
| २१ | मझौला उद्योग सिफारिस | प्रति | २००० |

| सि.नं | शिफारिश, अनुमती तथा प्रमाणीकरणको विवरण | इकाई | शुल्क वा दस्तुरको दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| २२ | साना तथा घरेलु उद्योग शिफारिस | प्रति | १००० |
| २३ | व्यवसाय बन्द तथा नाम परिवर्तन शिफारिस | प्रति | ५०० |
| २४ | मदिरा व्यवसाय सिफारिस (खुद्रा) | प्रति | २००० |
| २५ | मदिरा व्यवसाय सिफारिस (थोक) | प्रति | ३००० |
| २६ | संघ संस्था सिफारिस | दर्ता | १००० |
| | | नविकरण | ५०० |
| २७ | वडा सर्जमिन प्रमाणित | प्रति | ५०० |
| २८ | प्लटिङ्ग इजाजत प्रति रोपनी | प्रति | १००० |
| २९ | वनजन्य वस्तुको सिफारिस | प्रति | १००० |
| ३० | पर्यटन स्तरीय होटल सिफारिस | प्रति | १००० |
| ३१ | पेन्सन सिफारिस | नेपाली सेना वा प्रहरी | ५०० |
| | | भरतिय वा बृटिस | १५०० |
| | | निजामति, शिक्षक वम अन्य कर्मचारी | ५०० |
| ३२ | निजी बैंक तथा वितिय संस्था स्थापना अनुमति सिफारिस | क वर्ग | १०००० |
| | | ख वर्ग | ६००० |
| | | ग वर्ग | ५००० |
| | | घ वर्ग लघुवित | ४००० |
| ३३ | जग्गा धनी पूर्जा प्रतिलिपि सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ३४ | नागरिकता बाहेकको मुचुल्का सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ३५ | पटके सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ३६ | घर पातल प्रमाणित | प्रति | ५०० |
| ३७ | घर कायम सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ३८ | ट्रेस नक्सा निर्माण तथा प्रमाणित प्रति कित्ता | प्रति | ५०० |
| ३९ | ट्रेस नक्सा प्रमाणित प्रति कित्ता | प्रति | ५०० |
| ४० | जग्गा दर्ता वा नामसारी सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ४१ | राजिनामा, बकसपत्र सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ४२ | अशंबण्डा सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ४३ | नाम सच्याई सर्जमिन | प्रति | ५०० |
| ४४ | | प्रति | |
| ४५ | उद्योग नामसारी सिफारिस (ठूलो) | प्रति | ३००० |
| ४६ | उद्योग नामसारी सिफारिस (मझौला) | प्रति | २००० |
| ४७ | उद्योग नामसारी सिफारिस (सानो) | प्रति | १००० |
| ४८ | चार किल्ला प्रमाणित (बैंक तथा अन्य प्रयोजन) | घडेरी जग्गाहरु १ रोपनी सम्म | ५०० |
| | | घडेरी जग्गाहरु १ | ६०० |

| सि.नं | शिफारिश, अनुमती तथा प्रमाणीकरणको विवरण | इकाई | शुल्क वा दस्तुरको दर ( रु.) |
|---|---|---|---|
| | | रोपनी भन्दा माथि | |
| | | खेती योग्य जग्गाहरु २० रोपनी सम्म | ५०० |
| | | खेती योग्य जग्गाहरु २० रोपनी भन्दा माथि | ६०० |
| ४८.१ | घरबाटो सिफारिस | पटक | ५०० |
| ४९ | जग्गा नामसारी सिफारिस दस्तुर | १० रोपनी सम्म | ४०० |
| | | १० देखि २० रोपनी सम्म | ६०० |
| | | २० देखि ४० रोपनी सम्म | ८०० |
| | | ग्रमिण क्षेत्रमा २० रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी | थप रु १० |
| | | ४० रोपनी भन्दा भए | १२०० |
| ५० | निजी विद्यालयको कक्षा वृद्धि (अपग्रेड) शिफारिस | | |
| | आधारभुत स्तर | प्रति | २००० |
| | माध्यमिक स्तर | प्रति | ३००० |
| ५१ | सामुदायीक विद्यालयको कक्षा बृद्धि (अपग्रेड) शिफारिस | | |
| | आधारभुत स्तर | प्रति | १००० |
| | माध्यमिक स्तर | प्रति | २००० |
| | अन्य नखुलकाहरु | प्रति | ५०० |
| ५२ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन पछि (सबै) | प्रति | पञ्जीकरण ऐनले तोके बमोजिम |
| ५३ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि | प्रति | ५०० |
| ५४ | चौपाया निकासी दस्तुर प्रति गोटा | प्रति | २५० |
| ५५ | कुटानी पिसानी मिल सिफारिस एवं बिक्री | प्रति | ५०० |
| ५६ | स मिल काठचिरानी सिफारिस | प्रति | १००० |
| ५७ | संस्था नविकरण प्रति लाख | प्रति | १०० |
| ५८ | नाम, थर, जन्म मिति प्रमाणित | प्रति | ५०० |
| ५९ | सामुदायीक विद्यालय सिफारिस | प्रति | २००० |
| | शिशु कक्षा संचालन दर्ता | प्रति | १००० |
| | आधारभुत स्तर | प्रति | १००० |
| | माध्यमिक स्तर | प्रति | २००० |
| ६० | शिक्षक सरुवा सहमति माध्यमिक तह | १ जना | २००० |

| सि.नं | शिफारिश, अनुमती तथा प्रमाणीकरणको विवरण | इकाई | शुल्क वा दस्तुरको दर ( रु.) |
|---|---|---|---|
| ६१ | शिक्षक सरुवा सहमति निम्न माध्यमिक तह | १ जना | १५०० |
| ६३ | शिक्षक सरुवा सहमति प्राथमिक तह | १ जना | १००० |
| ६४ | शिक्षक सरुवा सहमति माध्यमिक तह जिल्ला वाहिर | १ जना | ३००० |
| ६५ | शिक्षक सरुवा सहमति निम्न माध्यमिक तह जिल्ला वाहिर | १ जना | २५०० |
| ६६ | शिक्षक सरुवा सहमति प्राथमिक तह जिल्ला वाहिर | १ जना | २००० |
| ६७ | निजी विद्यालयको ठाउँसारी सिफारिस | प्रति | २००० |
| ६८ | सामुदायिक विद्यालयको ठाउँसारी सिफारिस | प्रति | १००० |
| ६९ | **घडेरी प्लटिङ्गमा वाटोको लगत कट्टी शिफारिस** | प्रति | |
| | १ रोपनी सम्म | प्रति | |
| | ५ रोपनी सम्म | प्रति | |
| | ५ रोपनी भन्दा माथि | प्रति | |
| ७० | जीवित रहेको सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ७१ | सम्पत्ती करको मूल्याङ्कन शिफारिस | वैदेशिक प्रयोजनका लागि प्रति | प्रति हजार रु ३ |
| | | बैंकिङ तथा आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रति | प्रति हजार रु २ |
| ७२ | निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | प्रति | नि:शुल्क |
| ७३ | सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | प्रति | १०० |
| ७४ | संरक्षक प्रमाणित तथा | प्रति | ५०० |
| ७५ | संस्थागत संरक्षक सिफारिस | प्रति | १००० |
| ७६ | व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ७७ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | प्रति | ५०० |
| ७८ | जग्गाको हक सम्बन्धी सिफारिस (सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गा बाहेक) | प्रति | १००० |
| ७९ | पालन पोषण सिफारिस | प्रति | ५०० |
| ८० | आर्थिक अवस्था कमजोर वा बिपन्नता प्रमाणित | प्रति | नि:शुल्क |
| ८१ | आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | प्रति | नि:शुल्क |
| ८२ | अन्य प्रमाणित वा सिफारिस | प्रति | ३०० |
| ८३ | विद्युतबाट चल्ने घट्ट दर्ता | प्रति | ५०० |
| ग. | **घर जग्गा मूल्याङकन शेवा शुल्क** | | |
| १ | (क) १ लाख देखि ५ लाख सम्म | प्रति | २००० |
| | (ख) ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | प्रति | ५००० |

| सि.नं. | शिफारिश, अनुमती तथा प्रमाणीकरणको विवरण | इकाई | शुल्क वा दस्तुरको दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| | (ग) १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | प्रति | ७००० |
| | (घ) २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | प्रति | १०००० |
| | (ङ) ५० लाख १ देखि ७५ लाख सम्म | प्रति | १५००० |
| | (च) ७५ लाख १ देखि १ करोड सम्म | प्रति | २०००० |
| | (छ) १ करोड भन्दा माथि थप प्रति लाख थप | प्रति | ५०० |
| २ | **योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता सेवा शुल्क** | | |
| | (क) १ लाख सम्म | प्रति | |
| | (ख) १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | प्रति | |
| | (ग) ६ लाख १ देखि १० लाख सम्म | प्रति | |
| | (घ) ११ लाख १ देखि २० लाख सम्म | प्रति | |
| | (ङ) २० लाख १ देखि ३० लाख सम्म | प्रति | |
| | (च) ३० लाख १ देखि ४० लाख सम्म | प्रति | |
| | (छ) ४० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | प्रति | |
| | (ज) ५० लाख १ देखि ६० लाख सम्म | प्रति | |
| | (झ) ६० लाख १ देखि ७० लाख सम्म | प्रति | |
| | (ञ) ७० लाख १ देखि ८० लाख सम्म | प्रति | |
| | (छ) ८० लाख १ देखि ९० लाख सम्म | प्रति | |
| | (ट) ९० लाख १ देखि १०० लाख सम्म | प्रति | |
| | (ठ) १ करोड १ देखि २०० लाख सम्म | प्रति | |
| | (ड) २००१ लख भन्दा माथि थप | प्रति | |
| ८४ | **अन्य दस्तुर** | | |
| १ | **अमिन खटन दस्तुर** | | |
| | (क) गाउँपालिकाको कार्यालय देखि ५ कि.मि.सम्म प्रति कित्ता १ किताको रु ३००० र थप प्रति किता रु १००० | प्रति | ३००० |
| | १ कितामा थप प्रति किता रु १००० | | १००० |
| | (ख) ५ कि.मि. भन्दा माथि | प्रति | ४००० |
| | १ कितामा थप प्रति किता रु १००० | प्रति | १००० |
| २ | घर नक्सा नामसारी दस्तुर पक्की | प्रति | ३००० |
| | घर नक्सा नामसारी दस्तुर साधारण | प्रति | १००० |
| | घर नक्सा नामसारी दस्तुर कच्ची | प्रति | निशुल्क |
| ३ | मिला पत्र दस्तुर | प्रति | १००० |
| ४ | भरुवा बन्दुक नवीकरण शिफारिस | प्रति | १००० |
| ५ | आय श्रोत प्रमाणित प्रति लाख प्रति वर्ष | प्रति | २००० |
| ६ | करार कर्मचारी नवीकरण दस्तुर | प्रति | १००० |

| सि.नं | शिफारिश, अनुमती तथा प्रमाणीकरणको बिवरण | इकाई | शुल्क वा दस्तुरको दर ( रु.) |
|---|---|---|---|
| ८५ | वार्षिक आम्दानी प्रमाणित दस्तुर | | |
| ८५.१ | स्वदेश प्रयोजनको लागि | रु १ देखि २० लाख सम्म | ५०० |
| | | रु २० लाख १ देखि ४० लाख सम्म | १००० |
| | | रु ४० लाख १ देखि ६० लाख सम्म | १५०० |
| | | रु ६० लाख १ देखि माथि प्रति लाख रु १००थप लाग्ने -/ | १०० |
| ८५.२ | वैदेशिक प्रयोजनको लागि | रु १ देखि २० लाख सम्म | २००० |
| | | रु २० लाख १ देखि ४० लाख सम्म | ३००० |
| | | रु ४० लाख १ देखि ६० लाख सम्म | ५००० |
| | | रु ६० लाख १ देखि माथि प्रति लाख रु १००थप लाग्ने -/ | २०० |
| ८६ | रुख कटान सिफारिस | | १००० |
| | रुखको कटान प्रतिगोटा दस्तुर | | |
| ८७ | उत्तिसमलेतो लगायत/ | | ५० |
| ८८ | सल्ला र चिलाउने | | ७५ |
| ८९ | खयर | | २०० |

गाउँपालिको शित भण्डार प्रयोग गरे बापत लिइने सेवा शुल्कको दर

| क्र.सं. | वस्तु तथा सामाग्री | परिणाम | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | किवी | प्रति के.जि. | १.५ | मासिक |
| २ | सुन्तला | प्रति के.जि. | १.५ | मासिक |
| ३ | अकबरे खुर्सानी | प्रति के.जि. | १.५ | मासिक |
| ४ | घ्यू | प्रति के.जि. | ३ | मासिक |
| ५ | अन्य फलफुल | प्रति के.जि. | १.५ | मासिक |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ६ | तरकारी जन्य खाद्य वस्तु | प्रति के.जि. | १ | मासिक |

**नोट:** माथि उल्लेखित वस्तु तथा सामाग्रीहरुमा एक दिन या एक महिना राखे सोही मुल्य र एक महिना भन्दा माथि राखेमा पुन माथि निर्धारण बमोजिमको शुल्क लाग्नेछ ।

## अनुसूची - १०

(दफा ९ संग सम्बन्धित)

**सवारी साधन करको दर**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने देहायका सवारी साधनमा पहिलो पटक सवारी दर्ता र बार्षिक रुपमा नवीकरण गर्दा लाग्ने करको दर निम्न अनुसार हुनेछ

| क.सं. | सवारीको किसिम | दर्ता तथा इजाजत दर रु | वार्षिक नविकरण कर दर रु |
|---|---|---|---|
| १ | अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सा | १००० | १००० |
| २ | पावर टिलर तथा ट्र्याक्टर | ५०० | ५०० |

## अनुसूची -११

(दफा १० संग सम्बन्धित)

### विज्ञापन करको दर

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा गाउँपालिकाको इजाजत लिई गरिएको विज्ञापन सामाग्रीमा देहाय बमोजिम वार्षिक विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

| क.सं. | विज्ञापन सामग्रीको किसिम | वार्षिक विज्ञापन कर दर रु | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ठूलो | मध्यम | सानो |
| १ | विद्युतीय डिजिटल बोर्ड प्रति वर्ग फिट | २० | १५ | १० |
| २ | होर्डिङ्ग बोर्ड प्रति वर्ग फिट | २५ | २० | १५ |
| ३ | ब्यानर पोष्टर प्रति वर्ग फिट | १५ | १० | ५ |
| ४ | भित्ते लेखन प्रति वर्ग फिट | १० | ६ | ४ |
| ५ | ब्यापार तथा मेला आदीमा इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले (दैनिक) | १५ | १० | ५ |

नोट:

(१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निजी सम्पत्तिको उपयोग गरी कसैले विज्ञापन राख्न चाहेमा गाउँपालिकाको इजाजत लिई विज्ञापन सामग्री राख्न सक्नेछ। यस्तो विज्ञापन राखे बापत गाउँपालिकालाई वुझाउनु पर्ने विज्ञापन करको दर सार्वजनिक स्थलमा राखेको विज्ञापन करको दरको आधा (पचास प्रतिशत) कम हुनेछ।

(२) गाउँपालिकाको इजाजत नलिई गरिएको विज्ञापन सामग्रीहरूलाई गाउँपालिकाले कुनै पनि समयमा अग्रिम सूचना विना हटाउन सक्नेछ।

(३) पसलहरूमा राखिने परिचयपाटी (व्यवसाय प्रमाण पत्रमा तोकिएको ढाँचा तथा साइज अनुसार) मा विज्ञापन कर लाग्ने छैन। तर, परिचयपाटीमा विज्ञापन मूलक सामग्री प्रचार गरेमा सोमा विज्ञापन कर लाग्नेछ।

## अनुसूची १२
(दफा ११ संग सम्वन्धित)

### मनोरञ्जन कर

| सि.नं. | विवरण | दर | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | ३ दिन सम्मको कार्यक्रम, पर्व मेला महोत्सव | रु. ५०० प्रतिदिन | |
| २ | ३ देखि ७ दिन सम्मको कार्यक्रम, पर्व मेला महोत्सव | रु. ७०० प्रतिदिन | |
| ३ | ८ देखि १५ दिन सम्मको कार्यक्रम, पर्व मेला महोत्सव | रु. ९०० प्रतिदिन | |
| ४ | १६ दिनदेखि माथि सम्मको कार्यक्रम, पर्व मेला महोत्सव | रु. १५०० प्रतिदिन | |



देवी दुम्बाप्रो
प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १३
(दफा १३ संग सम्बन्धित)
पार्किङ शुल्क

| सि.नं | सवारी साधनका प्रकार | पार्किङ शुल्कको दर (प्रति पटक/दिन) रु |
|---|---|---|
| १ | स्कुटर/मोटरसाइकल | रु. २० |
| २ | हलुका सवारी साधन | रु. १०० |
| ३ | ट्र्याक्टर | रु. २०० |
| ४ | हेभी सवारी साधन-बस, ट्रक, ट्रली, लोडर, एस्काभेटर | रु. ३०० |
| ५ | निजी कार तथा रिजर्भ | रु. ५० |
| ६ | विदेशी गाडी तथा कार आदि | रु. १०० |
| ७ | मिनि बस तथा ट्रक | रु. १०० |

अनुसूची १४
(दफा १४ सँग सम्बन्धित)
नक्शापास दस्तुर

क. घर नक्शा पास, निर्माण स्वीकृति दस्तुर (आवसीय)

| क्र.सं. | घरको विवरण | दस्तुरको दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | क वर्गको प्रति वर्ग फिट | १० |
| २ | ख वर्गको प्रति वर्ग फिट | ८ |
| ३ | ग वर्गको प्रति वर्ग फिट (आरसिसि र लोड बेरिङ) | ६ |
| ४ | घ वर्गको प्रति वर्ग फिट | ५ |
| ५ | व्यापारिक भवन प्रति वर्ग फिट | १२ |
| ६ | व्यवसायिक भवन प्रति वर्ग फिट | १२ |
| ७ | शैक्षिक भवन प्रति वर्ग फिट | ६ |
| ८ | संस्थागत भवन प्रति वर्ग फिट | ६ |
| ९ | औद्योगिक भवन प्रति वर्ग फिट | १० |
| १० | नक्शा पास वा निर्माण सम्पन्न नामासारी शुल्क | १००० |
| ११ | यस क्षेत्रभित्र गाउँपालिका घोषणा हुनु पूर्व साबिक स्थानीय निकायमा नक्सा दर्ता भएका घरहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास भएको भए नक्सा पास गरिदिने, नभए अभिलेखीकरण मात्र गर्ने । पूर्व दर्ता भएकालाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट र नलिएकालाई माथि उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क लिने । | ५०० |
| १२ | प्लिन्थ लेवल भन्दा माथि Super Structure को नक्शा पास गरी निर्माण सम्पन्न पत्र तोकिएको समयमा नलिएमा २ वर्ष सम्म विलम्ब शुल्क | १००० वा २५ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ । |
| १३ | थप दस्तुर तिरी म्याद थप गरेपछि पनि थप २ वर्ष भित्र पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरिएमा थप विलम्ब शुल्क | थप २५ प्रतिशत |
| १४ | DPC चेक जाँच गर्न प्राविधिक फिल्ड जानु पर्दा | ५०० |

ख. घर अभिलेखीकरण तथा दर्ता दस्तुर

| क्र.सं. | घरको विवरण | दस्तुरको दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | RRC/RBC ढलान घर | ५०० |
| २ | RRC/RBC बिनाको पक्की घर | ३०० |
| ३ | कच्ची घर | १०० |

## अनुसूची - १५

(दफा १५ संग सम्बन्धित)

### बिक्रीको दर

| सामग्रीहरू | इकाई | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|
| ढुंगा, गिट्टी | प्रति घन फिट | ८ |
| बालुवा | प्रति घन फिट | ६ |
| माटो | प्रति घन फिट | ४ |
| काठ | प्रति वर्ग फिट | ५ |
| बोलपत्र वा दरभाउ पत्र फाराम | प्रति गोटा | (सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार) |
| नक्सापासको पुस्तक तथा निवेदन | प्रति गोटा | |

अनुसूची १६

(दफा १३ संग सम्बन्धित)

**सम्पत्ति भाडाको दर**

कार्यपालिका कार्यालय वा वडा कार्यालय वा सेवा केन्द्रमा उपलब्ध सम्पत्तीको भाडादर देहाय अनुसार हुनेछ ।

| सम्पत्ति | भाडा दर रु | कैफियत |
|---|---|---|
| जेसीवी (ब्याक हो लोडर) प्रति घण्टा (इन्धन बाहेक) | जिल्ला दररेट अनुसार | |
| कवडहल भाडा कार्यक्रम वापत (प्रति दिन) | १००० | |
| कवडहल भाडा व्याडमेन्टन, खेलहरु खेले वापत (मासिक | ५००० | |
| प्रोजेक्टर भाडा (प्रति दिन) | ५०० | |
| तालिम हल भाडा (प्रति दिन) | १००० | |

## अनुसूची १७

(दफा १७ संग सम्बन्धित)

### जरिवाना, शुल्क र व्याज (हर्जाना) लाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था

**जरिवाना लाग्ने :**

तल उल्लिखित कसुर गर्ने व्यक्ति, व्यवसायी वा संस्थालाई देहायको दरमा जरिवाना लाग्नेछ :

| क्र. सं. | कसुर | दण्ड जरिवाना (रु.) |
|---|---|---|
| १ | स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, वालुवा एवम् माटोजन्य पदार्थहरू उत्खनन् तथा बिक्री अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवसायी वा संस्थाले तोकिएको परिमाण भन्दा बढी उत्खनन् गरेमा वा अनुमति बेगर उत्खनन् गरेमा | उत्खनन् भएको परिमाण जफत गरी प्रति घन फिट रु. १० जरिवाना |
| २ | नक्सा पास नगरी निर्माण कार्य गरेमा | रु. ५ प्रति वर्ग फिट |
| ३ | गाउँपालिकामा दर्ता वा इजाजत नलिई नयाँ व्यवसाय संचालन गरेमा | रु. ५००० प्रति व्यवसाय |
| ४ | गाउँपालिकाले निषेध गरेका क्रियाकलाप संचालन गरेमा | रु. ५००० |

**व्याज (हर्जाना) लाग्ने :**

कुनै करदाताले यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, सेवा शुल्क समयमा दाखिला नगरेमा अन्यत्र व्याज (हर्जाना) तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएको हकमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमको वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याज (हर्जाना) लाग्नेछ ।

**समयमा विवरण दाखिला नगरेमा शुल्क लाग्ने :**

यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विवरण दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएको करदाताले समयमा विवरण दाखिला नगरेमा यस ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने करको दोब्बर रकम विलम्ब शुल्क सहित लाग्ने कर निजबाट असुल गरिन छ ।

**झुट्टा विवरण दिएमा जरिवाना लाग्ने :**

यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम बिवरण दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताले कर छल्ने नियत लिई झुट्टा वा अधुरो बिवरण दाखिला गरेमा नियमानुसार लाग्ने करको दोब्बर रकम जरिवाना सहित लाग्ने कर निजबाट असुल गरिनेछ ।

**व्याज (हर्जाना) नलाग्ने :** यस ऐन बमोजिम लाग्ने शुल्क, व्याज (हर्जाना) र जरिवानामा पुन: व्याज (हर्जाना) लाग्ने छैन ।

## अनुसूची १८

(दफा ८ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

क अस्थायी हाटबजार र घुम्ती पसल (पटके रुपमा) फाल्गुनन्द गाउँपालिका भित्र लाग्ने सबै हाट वजारहरुमा लागु हुने

| क्र.सं. | व्यापार/व्यवसाय/कारोबार | शुल्कको दर (पटके रुपमा) रु |
|---|---|---|
| १. | फलफूल अन्तरगत: | |
| २ | सुन्तला | रु. ५० |
| ३ | कागती | रु. ५० |
| ४ | किवी | रु. ५० |
| ५ | अकबरे खोर्सानी | रु. ५० |
| ६ | लसुन र प्याज | रु. ५० |
| ७ | अम्रक, मौषम तथा अन्य | रु. ५० |
| ८. | माछा तथा मासु | रु. १०० |
| ९. | फेन्सी तथा कपडा | रु. १५० |
| १०. | भाडाकुडा | रु. १०० |
| ११. | इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स | रु. १०० |
| १२. | सेवामूलक व्यवसाय | रु. १०० |
| १३ | किराना तथा खाद्यान्न | रु. ५० |
| १४ | चिया पत्ति | रु. ५० |
| १५ | चिया पत्ति प्याकिङ | रु. ५० |
| १६ | अन्य नखुलेका पसलहरु | रु २० |
| १७ | बहिर बाट आएर बेच्ने पसल | रु १५० |

| ख | हाट बजार तर्फ | |
|---|---|---|
| १ | व्यापारजन्य आयतित सामग्री बिक्री गर्ने प्रति व्यापारी प्रति दिन (प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएको) | रु. १०० |
| २ | गाउँपालिकाभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादन स्वयं कृषकहरुले उपभोक्ताहरुलाई बिक्रि गर्न | निःशुल्क |
| ३ | गाउँपालिकाभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादन व्यापारीहरुले बिक्रिवितरण गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादित घरेलु सामाग्री | निःशुल्क |
| ४ | पशु चौपाया प्रति गोटा | |
| ४.१ | बंगुर, सुँगुर, खसीको मासु बिक्रि प्रयोजन | रु १०० |
| ४.२ | राँगा, भैंसिको मासु बिक्रि प्रयोजन | रु २०० |

आज्ञाले

निर्मल तुम्रोक

(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

नोट :

१. व्यवसाय दर्ता गर्दा Fire extinguisher / fire ball राखेपछि मात्र दर्ता गरिनेछ ।

२. नविकरणको म्याद आ.व. सकिएको ३ महिना हुने । सो अवधिमा नविकरण गरेमा कुनै थप दस्तुर नलाग्ने । ३ महिना नाघी ६ महिनाभित्र गर्न आएमा थप १० प्रतिशत विलम्व शुल्क लाग्ने । ६ महिनापछि आ.वर्प भित्र नविरकण गरेमा थप २५ प्रतिशत र अर्को वर्पदेखि हरेक वर्पको थप ५० प्रतिशत जरिवाना वा विलम्व शुल्क लाग्ने ।

३. कुनै पनि व्यवसायको प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाणपत्र हराई प्रतिलिपी माग भइ आएमा नविकरण दस्तुर बराबरको शुल्क लिइ प्रतिलिपी दिने ।

४. थप विवरण हेर्न, गाउँपालिकाको वेबसाईट www.phalgunandamun.gov.np मा गई हेर्न सक्नु हुने छ ।

## ७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी:

| क्र.सं. | निर्णय प्रक्रिया | निर्णय गर्ने अधिकारी | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | कार्यालय प्रमुखको क्षेत्र अधिकारमा रहने कार्यक्रम | कार्यालय प्रमुख | |
| २ | आकस्मिक निर्णय गर्नु पर्दा कार्यपालिका मार्फत गरिने | गाउँ कार्यपालिका | |
| ३ | ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, आधि गाउँसभा मार्फत गरिने | गाउँ सभा | |

## ८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

**उजुरी/गुनासो सुन्ने अधिकारी**

निर्मल अधिकारी

योजना/प्रशासन शाखा प्रमुख

## ९. सम्पादन गरेको कामको विवरण :

| क्र.सं. | प्रकार | योजना संख्या (जम्मा) | सम्पन्न भएको | सम्झौता भएको | नभएको | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | वडा नम्बर १ | २८ | २५ | २५ | ३ | |
| २ | वडा नम्बर २ | २९ | २८ | २८ | १ | |
| ३ | वडा नम्बर ३ | २० | २० | २० | ० | |
| ४ | वडा नम्बर ४ | ३२ | ३० | ३० | २ | |
| ५ | वडा नम्बर ५ | २८ | २४ | २४ | ४ | |
| ६ | वडा नम्बर ६ | २४ | २३ | २३ | १ | |
| ७ | वडा नम्बर ७ | २७ | २६ | २६ | १ | |
| ८ | प्रधानमन्त्रि रोजगार | ५८ | ५७ | ५७ | १ | |

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद:

| सूचना अधिकारी | कार्यालय प्रमुख |
|---|---|
| निर्मल अधिकारी | देवी तुम्बापो |
| अधिकृत छैठौं | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत |
| ९८५२६८१५५६ | ९८५२६८४३८४ |

११. ऐन,नियम,विनियम वा निर्देशिकाको सुची:

| क्र.सं. | ऐन |
|---|---|
| १ | आर्थिक ऐन |
| २ | विनियोजन ऐन |
| ३ | सहकारी ऐन |
| ४ | लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन, २०८० |
| ५ | फाल्गुनन्द प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०८१ |
| ६ | फाल्गुनन्द गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८१ |
| ७ | विनियोजन ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८१ |
| ८ | फाल्गुनन्द गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०८१ |
| ९ | विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण ऐन |
| | कार्यविधि |
| १ | कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि |
| २ | राहत वितरण कार्यविधि |
| ३ | आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निर्माण तथा संचालन कार्यविधि |
| ४ | न्यायिक समितिले उजुरी कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि |
| ५ | करार जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि |
| ६ | वाल अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि |
| ७ | विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि |
| ८ | ईस्काभेटर संचालन सम्बन्धि कार्यविधि |
| ९ | स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि |
| १० | अध्यक्ष विशेष कोष संचालन कार्यविधि |
| ११ | आयोजना व्यवस्थापन खर्च सेवा सम्बन्धि कार्यविधि |
| १२ | आयोजना व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि |
| १३ | एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि |
| १४ | गाउँ सभा संचालन कार्यविधि |
| १५ | घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र कार्यविधि |
| १६ | विपद व्यवस्थापन कार्यविधि |

| | |
|---|---|
| १७ | नर्सरी व्यवस्थापन कार्यविधि |
| १८ | पशुपंक्षी तथा मत्स्य व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि |
| १९ | पशुपंक्षी कार्यसंचालन कार्यविधि |
| २० | पशुपंक्षी कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि |
| २१ | खेलकुद संचालन कार्यविधि |
| २२ | पाईप वितरण कार्यविधि |
| २३ | जस्तापाता वितरण कार्यविधि |
| २४ | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०८१ |
| २५ | अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०८१ |
| २६ | राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८१ |
| २७ | कर्मचारीको तह वृद्धि कार्यविधि २०८१ |
| २८ | शित भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ |
| २९ | ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०८० |
| ३० | आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० |
| ३१ | धान उत्पादनमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० |
| ३२ | आधारभुत अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ |
| | **नियमावली** |
| १ | शिक्षा नियमावली |
| २ | गाउँपालिका कार्यसंचालन नियमावली |
| ३ | गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली |
| ४ | गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली |
| | **निर्देशिका** |
| १ | कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका |
| २ | फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको उद्यम प्रवर्धन निर्देशिका, २०८१ |
| ३ | साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० |
| ४ | एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका, २०८२ |
| ५ | फाल्गुनन्द गाउँपालिका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८२ |
| ६ | आधारभूत तह(कक्षा ५ र ८) को परिक्षा संचालन तथा प्रमणिकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०८१ |
| | **आचारसंहिता** |
| १ | फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता |
| | **विधेयक** |
| १ | आर्थिक ऐन संशोधन विधेयक |
| | **मापदण्ड** |
| १ | करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन, स्तर मुल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता थप मापदण्ड |
| | **अध्यादेश** |
| १ | स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश २०८० |

देवी तुम्बापो
प्रशासकीय अधिकृत

## १२. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धि अध्यावधिक विवरण :

7/22/26, 10:23 AM SuTRA:-

फाल्गुनन्द गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाँचथर
Office Code : ८०१०२५०४३००

आय व्ययको विवरण

FY : २०८२/८३ अवधि : २०८२/०४/०१-२०८३/०३/३२

| आय | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शीर्षक | प्रस्तावित आय | वास्तविक आय | Income(%) | मौज्दात |
| संघीय सरकार | ४९,३८,६९,०००.०० | ३९,६७,०७,९८३.६० | ९५.८५ | ६,७१,६१,०१६.४० |
| १३३११ समानिकरण अनुदान | १०,१०,००,०००.०० | ९,२३,६४,५००.०० | ९१.४५ | ८६,३५,५००.०० |
| १३३१२ सशर्त अनुदान चालु | २५,६३,६९,०००.०० | २५,५९,०९,०००.०० | ९९.८२ | ४,६०,०००.०० |
| १३३१३ सशर्त अनुदान पुँजीगत | ४,१०,००,०००.०० | ३,४४,१२,४८३.६० | ८३.९३ | ६५,८७,५१६.४० |
| १३३१५ विशेष अनुदान पुँजीगत | ९०,००,०००.०० | ८५,००,०००.०० | ९४.४४ | ५,००,०००.०० |
| १३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत | ६५,००,०००.०० | ५५,२२,०००.०० | ८४.९५ | ९,७८,०००.०० |
| प्रदेश सरकार | ३,०८,८८,०००.०० | ३,११,२८,०००.०० | १००.७८ | (२,४०,०००.००) |
| १३३११ समानिकरण अनुदान | ९१,१७,०००.०० | ९१,१७,०००.०० | १०० | ०.०० |
| १३३१२ सशर्त अनुदान चालु | १८,०१,०००.०० | २०,४१,०००.०० | ११३.३३ | (२,४०,०००.००) |
| १३३१३ सशर्त अनुदान पुँजीगत | ७९,७०,०००.०० | ७९,७०,०००.०० | १०० | ०.०० |
| १३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत | १,२०,००,०००.०० | १,२०,००,०००.०० | १०० | ०.०० |
| राजस्व बाँडफाँड | ८,९२,३४,८२४.०० | ८,७४,८१,७७८.०५ | ९८.०४ | १७,५२,०४५.९५ |
| ११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ७,५०,०००.०० | ७,६४,४००.०० | १०१.९२ | (१४,४००.००) |
| ११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर | ६,२०,३४,८६८.०० | ५,५७,६८,०५६.९६ | ८९.९ | ६२,६६,८११.०४ |
| ११४२१ बाँडफाँड भ ‍ई प्राप्त हुने अन्त शुल्क | २,०६,७४,९५६.०० | २,५७,१४,४३५.६३ | १२४.३७ | (५०,३९,४७९.६३) |
| ११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर | ५७,७५,०००.०० | ५२,३४,८८५.४६ | ९०.६५ | ५,४०,११४.५४ |
| अन्तरिक स्रोत | १,१५,८०,०००.०० | १,४९,३९,५३४.९० | १२८.९४ | (३३,५९,५३४.९०) |
| ११३१४ भुमिकर/मालपोत | १,००,०३१.७४ | ७,२४,२९१.६४ | ७२४.०६ | (६,२४,२५९.९०) |
| १४२४३ सिफारिश दस्तुर | १,००,०००.०० | १६,९९,४७५.०० | १६९९.४८ | (१५,९९,४७५.००) |
| १४२४४ व्यक्तिगत | ५३,०००.०० | ५,३५,०००.०० | १००९.४३ | (४,८२,०००.००) |

| व्यय | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शीर्षक | वार्षिक बजेट | खर्च | खर्च(%) | मौज्दात |
| चालु | ४०,२६,९१,०२४.०० | ३६,०९,००,९२०.८१ | ८९.६४ | ४,१७,९०,१०३.१९ |
| २११११ पारिश्रमिक कर्मचारी | २२,४८,८८,००३.०० | २०,८७,६०,४९९.४२ | ९२.८३ | १,६१,२७,५०३.५८ |
| २१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी | ४७,००,०००.०० | ४६,७७,५००.०० | ९९.५२ | २२,५००.०० |
| २११२१ पोशाक | १९,५०,०००.०० | १९,२२,०००.०० | ९८.५६ | २८,०००.०० |
| २११२३ औषधीउपचार खर्च | १३,४०,०००.०० | १३,३९,५३०.०० | ९९.९६ | ४७०.०० |
| २११३१ स्थानीय भत्ता | ४,००,०००.०० | २,६९,९०७.७४ | ६७.४८ | १,३०,०९२.२६ |
| २११३२ महंगी भत्ता | १५,००,०००.०० | ११,६५,०००.०० | ७७.६७ | ३,३५,०००.०० |
| २११३३ फिल्ड भत्ता | १३,००,०००.०० | ११,१८,९००.०० | ८६.०७ | १,८१,१००.०० |
| २११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता | १६,५८,०००.०० | १२,९६,६००.०० | ७८.२ | ३,६१,४००.०० |
| २११३९ अन्य भत्ता | १,८०,०००.०० | १,८०,०००.०० | १०० | ०.०० |
| २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता | १३,४६,०००.०० | १२,२२,५००.०० | ९०.८२ | १,२३,५००.०० |
| २१२११ कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च | २,६०,०००.०० | ६०,०००.०० | २३.०८ | २,००,०००.०० |
| २१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष | ५,८०,०००.०० | ५,८०,०००.०० | १०० | ०.०० |
| २२१११ पानी तथा विजुली | १७,४१,०००.०० | ८,३३,७०५.०० | ४७.८९ | ९,०७,२९५.०० |
| २२११२ संचार महसुल | ११,५०,६००.०० | ९,७९,६४३.०० | ८५.१४ | १,७०,९५७.०० |
| २२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | ५०,८२,०००.०० | ४५,९८,३५५.०० | ९०.४८ | ४,८३,६४५.०० |
| २२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च | ५०,२०,०००.०० | ३९,५०,०६८.०० | ७८.६९ | १०,६९,९३२.०० |
| २२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च | ५,३८,०००.०० | ४,८४,५७४.०० | ९०.०७ | ५३,४२६.०० |
| २२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | ११,००,०००.०० | १०,९९,१५०.०० | ९९.९२ | ८५०.०० |
| २२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च | २,००,०००.०० | २,००,०००.०० | १०० | ०.०० |
| २२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | ३५,०२,४००.०० | ३२,८८,७३०.०० | ९३.९ | २,१३,६७०.०० |
| २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च | २७,२३,०००.०० | २२,६२,३६६.०० | ८३.०८ | ४,६०,६३४.०० |
| २२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन | ३,३०,०००.०० | ९९,१०९.०० | ३०.०३ | २,३०,८९१.०० |
| २२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | ३५,७७,०००.०० | ३२,०९,१९६.०० | ९०.२२ | ३,४७,८५४.०० |
| २२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च | १,३५,६८,०००.०० | ७६,४६,४३२.०० | ५६.३६ | ५९,२१,५६८.०० |
| २२४११ सेवा र परामर्श खर्च | २०,००,०००.०० | २०,००,०००.०० | १०० | ०.०० |
| २२४१३ करार सेवा शुल्क | २,३२,७३,२००.०० | २,२१,१६,९८२.६५ | ९५.०३ | ११,५६,२१७.३५ |
| २२५११ कर्मचारी तालिम खर्च | ५,००,०००.०० | ९,४००.०० | १.८८ | ४,९०,६००.०० |
| २२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च | ८,३०,०००.०० | ७,२४,४६०.०० | ८७.२८ | १,०५,५४०.०० |
| २२५२२ कार्यक्रम खर्च | ९३,५३,०००.०० | ५४,०५,४८९.०० | ५७.७९ | ३९,४७,५११.०० |
| २२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च | ३,९२,३५,२००.०० | ३,३८,५६,२५०.०० | ८६.२९ | ५३,७८,९५०.०० |
| २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च | १३,७५,०००.०० | ८,५८,१३५.०० | ६२.४१ | ५,१६,८६५.०० |
| २२६१२ भ्रमण खर्च | ४४,१९,८००.०० | ४०,१४,०१०.०० | ९०.८२ | ४,०५,७९०.०० |
| २२७११ विविध खर्च | ५४,८५,८२१.०० | ५१,००,६९६.०० | ९२.९८ | ३,८५,१२५.०० |
| २२७२१ सभा सञ्चालन खर्च | ५,००,०००.०० | ४,०५,५००.०० | ८१.०१ | ९४,५००.०० |



देवी तुम्बापो
प्रशासकीय अधिकृत

# फाल्गुनन्द गाउँपालिका
## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाँचथर
Office Code : ८०१०२५०४३००

### आय व्ययको विवरण

FY : २०८२/८३ अवधी : २०८२/०४/०१-२०८३/०३/३२

| आय | | | | |
|---|---|---|---|---|
| घटना दर्ता दस्तुर | | | | |
| १४२४९ अन्य दस्तुर | १,००,०००.०० | ७,४५,८००.०० | ७४५.८ | (६,४५,८००.००) |
| ३२१२२ बैंक मौज्दात | १,१२,२६,९६८.२६ | १,१२,२६,९६८.२६ | १०० | ०.०० |
| जम्मा | ५४,५५,७१,८२४.०० | ५३,०२,४९,२९६.५५ | ९७.९९ | १,५३,२२,५२७.४५ |

| व्यय | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २५२२१ वित्तीय व्यवसायहरूलाई चालु सहायता | २१,२०,०००.०० | २०,८१,२९७.०० | ९८.१७ | ३८,७०३.०० |
| २५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता | १,७८,४३,०००.०० | १,७२,१०,०१७.०० | ९६.४५ | ६,३२,९८३.०० |
| २५३१५ अन्य संस्था सहायता | ८३,६२,०००.०० | ७५,४४,००१.०० | ९०.२२ | ८,१७,९९९.०० |
| २७२१९ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च | ४,००,०००.०० | ३,७०,००१.०० | ९२.५ | २९,९९९.०० |
| २७२१३ औषधीखरिद खर्च | ५५,४९,०००.०० | ५३,०७,८८३.०० | ९५.६५ | २,४१,११७.०० |
| २८१४२ घरभाडा | १६,४६,०००.०० | १५,८५,८७०.०० | ९६.३५ | ६०,१३०.०० |
| २८१४३ सवारी साधन तथा मेसिनर औजार भाडा | १०,००,०००.०० | ९,७२,१५०.०० | ९७.२२ | २७,८५०.०० |
| २८१४९ अन्य भाडा | १,०५,०००.०० | ९५,०००.०० | ९०.४८ | १०,०००.०० |
| २८९११ भैपरी आउने चालु खर्च | ०.०० | ०.०० | ० | ०.०० |
| पूँजीगत | १४,२९,६०,८००.०० | ९,६९,००,४९४.०० | ६७.७८ | ४,६०,६०,३०६.०० |
| ३११९३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ५३,७०,०००.०० | ३२,१२,११२.०० | ५९.८२ | २१,५७,८८८.०० |
| ३११२२ मेशिनरी तथा औजार | ४२,५५,०००.०० | ३७,५५,१४५.०० | ८८.२५ | ४,९९,८५५.०० |
| ३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स | ४,२३,०००.०० | ३,६१,७३८.०० | ८५.५२ | ६१,२६२.०० |
| ३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च | ८८,००,०००.०० | ३१,६१,८१४.०० | ३५.९३ | ५६,३८,१८६.०० |
| ३११५१ सडक तथा पूल निर्माण | २,१५,२०,०००.०० | १,८१,७०,६६९.०० | ८४.४४ | ३३,४९,३३१.०० |
| ३११५४ तटबन्ध तथा बाँधनिर्माण | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १०० | ०.०० |
| ३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण | २,२९,०६,०००.०० | १,२६,२२,२९६.०० | ५५.१ | १,०२,८३,७०४.०० |
| ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण | १,९४,७८,०००.०० | १,२३,९४,६३४.०० | ६३.६३ | ७०,८३,३६६.०० |
| ३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण | १,००,०००.०० | १,००,०००.०० | १०० | ०.०० |
| ३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण | ५,९५,६१,०००.०० | ४,२५,९४,२८६.०० | ७१.५१ | १,६९,६६,७१४.०० |
| ३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ४,४७,८००.०० | ४,२७,८००.०० | ९५.५३ | २०,०००.०० |
| ३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत | ०.०० | ०.०० | ० | ०.०० |
| जम्मा | ५४,५५,७१,८२४.०० | ४५,७८,०१,४९४.८१ | ८३.९९ | ८,७७,७०,४०९.१९ |